आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए हाईकोर्ट उपयुक्त फोरम नही : हाईकोर्ट

नौकरी से हटायी गयी सेविकाएं संविधान से मिले संरक्षण की हकदार नही

वरीय संवाददाता

पटना : हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आंगनवाड़ी सेविकाओं का मामला यह कहकर सुनने से इंकार कर दिया कि 'यह पद लोक पद दायरे में नहीं आता है। अतः आंगनबाड़ी सेविकाओं को संविधान के अनुच्छेद 311 का लाभ नहीं दिया जा सकता।' मतलब यह कि नौकरी से हटायी गयी सेविकाएं संविधान से मिले संरक्षण की हकदार नहीं हो सकतीं। इस व्यवस्था के साथ अपीलीय न्यायालय ने नीतू कुमारी की अपील (एलपीए) खारिज कर दी। अदालत ने यह भी दिशा निर्देश जारी किया कि 'आंगनबाड़ी सेविकाएं चाहें तो निचली अदालत का सहारा ले सकती हैं। वे चाहे तो अपने हक के लिए 'सूट' दायर कर सकती हैं, जहां उन्हें क्षतिपूर्ति अथवा अन्य प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं।' न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि आये दिन बड़े पैमाने पर 'मित्रों' की याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर हो रही हैं। ये शिक्षा मित्र का मामला हो, विकास मित्र अथवा स्वास्थ्य मित्र का-हाईकोर्ट इन्हीं के मामले को निपटाने में अधिकांश समय लगा देता है जबकि इन सबकी नियुक्तियां कांट्रैक्ट के आधार पर होती है। इन पदों को 'सिविल पोस्ट' नहीं माना जा सकता है। अतः ये 'रिट' का सहारा भी नहीं ले सकते। आवेदिका नीतू अपनी नौकरी को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हुए 'अपील' तक आयी हुई थी। हरिवंश ग्राम पंचायत, वैशाली में कार्यरत नीतू ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ कलक्टर की अदालत का सहारा लिया किन्तु उनकी अजी वहां 24 अप्रैल 2008 को खारिज कर दी गयी। तब उसने आयुक्त के न्यायालय में अपील दायर की जो 21 दिसंबर 2009 को खारिज हो गई। फिर वह हाईकोर्ट के एकल पीठ में गयी। एकल पीठ द्वारा भी खारिज किये जाने के बाद वह अपीलीय न्यायालय में आयी थी।